

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम:- वित्त प्रबंधन शाखा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):- NRHM B-15.3.2 (C)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-1 के आधार पर):-
Central Plan Monitoring System (CPMS)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम) :- यह भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) की योजना है। इसका कार्यान्वयन राज्य स्तर से किया जाना है।

इकाई राशि (रू० में) :-

वित्तीय दिशा-निर्देश:- सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य स्तर से व्यय किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:- के०एल० दास (वित्त प्रबंधक)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर:-0612-2283801, 9470003021



